न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

जीसीएमएस नम्बर 2018/00112 अपील संख्या 204/2018

1. लादूराम पुत्र कालूराम जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर ।
2. बजरंग लालं पुत्र कालूराम जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामजीवण जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर (फौत)

1/1. निवासी देवी पत्नी जगदीश

1/2. गणेश पुत्र जगदीश समस्त जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर

1/3. प्रेम देवी पुत्री जगदीश (फौत)

1/3/1 बलराम पुत्र रामनिवास जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी ढोला का खेडा पोस्ट धोली वाया डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक ।

1/4 छोटी देवी पुत्री जगदीश पत्नी रामावतार जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी ढोला का खेडा पोस्ट धोली वाया डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक।

1/ 5 रामप्यारी पुत्री जगदीश पत्नी शंकरलाल जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी ग्राम आकोडिया पोस्ट निमोडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर ।

1/6. प्रभाती देवी पुत्री जगदीश पत्नी राजेश जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी खेडा जगन्नाथपुरा वाया गौनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर ।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर दिनांक 27.02.2018मुकदमा संख्या 95/2017उनवानी जगदीश बनाम लादूराम व अन्य।

उपस्थित–

1. श्री रामधन चौधरी वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी रेस्पोडेन्ट नं. 1/1, 1/2 1/4 से 1/6 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –26.03.2024

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक27.08.2018के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है किअधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश कर ग्राम फागी उत्तर आराजी खसरा नम्बर 2506 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2507 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2508 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2509 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2510 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2511 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2512 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2513 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2514 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी फागीदिनांक 27.02.2018के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीलादूराम पुत्र कालूराम वगैoद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश27.02.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया किग्राम फागी उत्तर आराजी खसरा नम्बर 2506 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2507 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2508 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2509 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2510 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2511 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2512 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2513 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2514 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम फागी उत्तर पटवार हल्का फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है प्रार्थीगण रेस्पोडेण्ट्स के समीपस्थ खातेदार काश्तकार हैं रेस्पोडेण्ट की खातेदारी के लगवा उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2505, 2320, 2515, 2518 है जिनका सीमाज्ञान करते हुये प्रार्थी की उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान अप्रार्थीगण की मौजूदगी में किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात ही उभयपक्षों की पत्थरगढी किये जाने से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी।अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अप्रार्थीगण के जवाब एवं प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन व मनन किये समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये दिनांक 27/02/2018 को उक्त अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया।सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15/10/2016 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एकतरफा में तैयार करवाई गई थी के आधार पर पत्थरगढी आदेश जारी किया गया हैं। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दिनांक 15/10/2016 की झूठी व एकतरफा सीमाज्ञान रिपोर्ट की आड में अपीलान्ट के खसरा नम्बर 2515 की सीमा में घुसने की कोशिश करता है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2320 जो कि अपीलान्ट का है में भी बढ़ने की कोशिश करता है जबकि मौके पर मेडबन्दी हो रखी हैं।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य भी स्पष्ट किया था कि पटवारी हल्का के पास जो नक्शा है वह कट– फटा हैं जिस कारण उक्त भूमि का सही सीमाज्ञान नही हो पा रहा हैं, इसलिए उक्त भूमि का ई.डी. एम. मशीन से सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी की कार्यवाही की जाती है तो अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गौर किये एवं तहसीलदार की गलत सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया

संभागीय आयुक्त
जयपुर

है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर दिनांक 27.02.2018 निरस्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् प्रार्थना पत्र 111 व 128 एल.आर. एक्ट के प्रस्तुत कर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 15.10.2016 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया। चूंकि प्रार्थीउक्त विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में आये–दिन विवाद उत्पन्न करते रहते है तो प्रार्थी ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान तहसीलदार फागी के सीमाज्ञान आदेश दिनांक 02.06.2014 की पालना में दिनांक 15.10.2016 को पटवारी हल्का फागी उत्तर से सीमाज्ञान करवाया गया जब अप्रार्थीगण सीमाज्ञान को अनदेखा करने लगे तथा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में हुये सीमाज्ञान दिनांक 15.10.2016 को मध्यनजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शे की दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा मिटा दिये गये है। अप्रार्थीगण नही चाहते है कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सके जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते हुए प्रार्थीगण की आराजीयात के कब्जेकाश्त में आये दिन मजाहमत करते रहते है क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। तहसीलदार फागी के सीमाज्ञान के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा।अतः प्रार्थी द्वारा विधिवत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन करने पर न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिअनुरूप है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 08.06.2018 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।अपीलांट का कथन है कि अपीलांट विवादि आराजी के समीपस्थ खातेदार–काश्तकार हैं एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान दिनांक 15/10/2016 उनकी अनुपस्थिति में किया गया है। एवं मौके पर सीमाज्ञान के कोई निशानात भी मौजूद नही है ऐसी अवस्था में एकतरफा रूप से किया गया सीमाज्ञान गलत हैं। रेस्पो0 की खातेदारी के लगवा अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2505, 2320, 2515, 2518 है जिनका सीमाज्ञान करते हुये प्रार्थी की उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान अपीलान्ट की मौजूदगी में किया जाता है तो अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि यदि किसी भी खातेदार द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराया जाता है तो पडौसी काश्तकारों को सीमाज्ञान हेतु सूचना आवश्यक रूप से दी जाती हैं। परन्तु इसके संबंध में पत्रावली पर सीमाज्ञान सभी पडौसी काश्तकारों के सामने हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया, ना ही अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं कि सहकाश्तकारों द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की गई है जिससे पक्षकरान् के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का

समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

अत आदेश है कि :–अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर दिनांक 27.02.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर